कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रसूलपुर, दिल्ली मेरठ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**025 / 15, 05.08.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री निशान्त मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रसूलपुर, दिल्ली मेरठ रोड, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 09.07.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Whether Godrej HIT (Black) Aerosol Spray is an insecticide and therefore covered under Entry No. 20 of Part-A of Schedule-II appended to the U.P. VAT Act, 2008 and therefore liable to tax @ 4% ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री निशान्त मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता एवं श्री श्रेयस श्रीवास्तव, असिस्टेंट मैनेजर, कम्पनी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि प्रश्नगत वस्तु HIT Black Spray, Mosquito repellent / destroyer coils, Mats and Liquid से भिन्न प्रोडक्ट है तथा इनके Major Ingredients भी भिन्न हैं। HIT Black Spray का instant application / effect होता है, जबकि Coils, Mats तथा Liquid का effect लम्बी अवधि का होता है। कहा गया कि HIT Black Spray Insecticide Act, 1968 से लाइसेंस प्राप्त कर बनाया जाता है। इस कारण भी यह Insectisides है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 से भी आच्छादित होने के कारण इस पर Insectisides की भाँति 4% की करदेयता है। प्रार्थना-पत्र के साथ विक्रय की जाने वाली HIT Black Spray का सैम्पल भी प्रस्तुत किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद ज़ोन-द्वितीय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-833, दिनांक 08.09.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी का यह कहना कि Mosquite Repellent एवं Mosquite Killer का निर्माण Provision of Insectisides Act 1968 read with Insecticides Rules 1971 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये लाइसेन्स के अन्तर्गत किया जाता है और यह Insecticides के अतिरिक्त कुछ नहीं है। व्यापारी का कथन उचित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 पर स्पष्ट रूप से Chemical fertilizers, except those which are described in entry no. 26 of the schedule-I; micro-nutrients and also plant growth promoters & regulators, herbicides, rodenticide, insecticide, weedicide and

pesticides excluding Mosquito repellent / destroyer coils, Mats and Liquid अंकित है, जिसमें Mosquite Repellent / destroyer coils, Mats and Liquid को स्पष्ट रूप से Exclude किया गया है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के उक्त Classification के अनुसार Mosquite Repellent एवं Mosquite Distroyer को Insecticides से भिन्न मानते हुए वर्गीकृत किया गया है। अत: व्यापारी का कथन उचित नहीं है।

व्यापारी का यह कथन है कि नोटिफिकेशन संख्या-1730, दिनांक 30.12.2013 के संशोधन के अनुसार Mosquito repellent / destroyer coils, Mats and Liquid एन्ट्री संख्या-20 की परिधि से बाहर हो गये हैं, परन्तु Hit Black Spray ‘‘ Mosquito repellent / destroyer coils, Mats and Liquid " की परिधि में नहीं आता है, इसलिए उक्त के Insecticides होने के कारण अभी भी उक्त वस्तु एन्ट्री नम्बर-20 की परिधि में आती है, जिस पर करदेयता उचित रूप से 4% कर एवं अतिरिक्त कर चार्ज किया जा रहा है। व्यापारी का कथन पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि नोटिफिकेशन संख्या-1730, दिनांक 30.12.2013 के Amendment में एन्ट्री नम्बर-20 पर निम्नवत् वस्तुएं अंकित हैं :-

Entry No.-20- Chemical fertilizers, except those which are described in entry no. 26 of the schedule-I; micro-nutrients and also plant growth promoters & regulators, herbicides, rodenticide, insecticide, weedicide and pesticides excluding Mosquito repellent / destroyer coils, Mats and Liquid

उक्त एन्ट्री से स्वत: स्पष्ट है कि Mosquito repellent / destroyer जो Coils, Mats एवं Liquid स्वरूप में हो, वह स्पष्ट रूप से Insecticides की परिधि से बाहर कर दिये गये हैं। व्यापारी द्वारा बिक्रीत वस्तु Hit Black Spray स्पष्ट रूप से Mosquito repellent / destroyer है, जो Liquid Form में है तथा कन्टेनर में भरा होता है तथा उसे निश्चित दबाव पर स्प्रे करके मच्छर मारने / भगाने का कार्य किया जाता है। अत: व्यापारी का कथन उचित नहीं है। व्यापारी द्वारा वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय CIT Vs. Tara Agencies 2007 (214) ELT 491 प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की माननीय विधायिका ने स्पष्ट रूप से Mosquito destroyer, जो Liquid Form में हो, को Insecticides की परिधि से बाहर कर दिया है तथा व्यापारी की बिक्रीत वस्तु Hit Black Spray स्पष्ट रूप से Liquid Form में Mosquito destroyer है। अत: यहॉ पर किसी शब्द की व्याख्या अथवा उस पर संशय का प्रश्न नहीं उठता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Hit Black Spray के प्रस्तुत सैम्पल पर यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ‘‘ Kill Pests Kill Diseases ’’। भौतिक रूप से इसको देखने से यह स्वत: स्पष्ट है कि यह Liquid के form में है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 के exclusion clause से आच्छादित है। CIT Vs. Tara Agencies 2007 (214) ELT 491 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि :-

‘‘ it is contrary to all rules of construction to read words into a statute which the legislature in

....3

its wisdom has deliberately not incorporated. ''

प्रश्नगत मामले में विधायिका की wisdom के विरूद्ध Statute में किसी शब्द को पढ़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि Mosquito repellent / destroyer जो Mat, Coil अथवा Liquid Form में हो, को, विधायिका ने स्वयं प्रविष्टि संख्या-20 में exclusion clause में डालकर प्रश्नगत वस्तु को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II से बाहर किया है। अत: उक्त प्रविष्टि की परिधि में प्रश्नगत वस्तु नहीं आती है, वरन् उक्त प्रविष्टि के exclusion clause से आच्छादित है। अत: उक्त वस्तु अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेय है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद ज़ोन-द्वितीय द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत वस्तु Hit Black Spray है, जिसका कम्पनी द्वारा स्वीकृत रूप से Mosquito repellent के रूप में विक्रय किया जाता है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 में exclusion clause '' Mosquito repellent / destroyer coil, Mat and Liquid " से उक्त वस्तु आच्छादित है। अत: प्रश्नगत वस्तु Hit Black Spray उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 से आच्छादित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेय होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 09 फरवरी, 2016

ह0 / 09.02.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।